मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)
तृतीय तल, विकास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

आदेश क्र. 13677/न.क्र. 5–265/प्रशा./2024 भोपाल, दिनांक 08/11/2024

:: आदेश ::

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण मुख्यालय भोपाल द्वारा जारी विज्ञप्ति क्र. 10600 दिनांक 20/08/2024 के क्रम में प्राधिकरण के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में निर्मित किये जा रहे पुलों के कार्यो के संबंध में तकनीकी परामर्श लिये जाने हेतु दिनांक 06/11/2024 को आयोजित व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर श्री आशुतोष मिश्र, सेवानिवृत्त अधीक्षण यंत्री, म.प्र. सड़क विकास निगम को ब्रिज एक्सपर्ट (अंशकालीन) के रूप में एम्पैनल किया जाता है :–

उक्त चयनित पैनल की सेवा एवं भुगतान संबंधी नियम एवं शर्तें जारी विज्ञप्ति (वि.क्र. 10600 दिनांक 20/08/2024) में वर्णित निम्नानुसार होगी :–

1. प्राधिकरण की आवश्यकताओं के अनुरूप ब्रिज विशेषज्ञों की सेवाएं पूरे मध्यप्रदेश में आवश्यकतानुसार ब्रिज के कार्यो में विशिष्ठ परामर्श प्राप्त करने लिये सलाहकार/विशेषज्ञों के रूप में ली जावेगी जो कि निम्न बिन्दुओं पर आधारित होगी:

अ) डीपीआर स्तर पर : प्रस्तावित पुल के प्रकार, डिजाईन एवं उपयुक्तता के संबंध में परामर्श।

ब) निर्माण कार्य के समय : विभिन्न स्तरों पर आवश्यकतानुसार परामर्श।

स) निर्माण के उपरांत : पूर्ण पुलों का निरीक्षण एवं परामर्श।

द) पुल निर्माण के संबंध में आवश्यकतानुसार अन्य परामर्श।

2. उक्तानुसार Empanelled अधिकारियों को आवश्यकतानुसार ऐसे मामले Case to Case basis पर सौंपे जायेंगे।
3. ब्रिज विशेषज्ञों को इस कार्य हेतु प्रतिदिवस रू. 5,000/– का दैनिक मानदेय का भुगतान किया जायेगा। भुगतान की अधिकतम सीमा किसी भी माह में रू. 50,000/– से अनधिक एवं किसी भी वर्ष में रू. 3,00,000/– से अनधिक होगी।
4. निरीक्षण कार्यो हेतु भेजे जाने पर ब्रिज विशेषज्ञ को उनकी सेवानिवृत्ति के समय देय दरों पर टी.ए./डी.ए. होटल चार्ज नियमानुसार देय होंगे।
5. किसी एक विशेषज्ञों को सौंपे जाने वाले जिलों/कार्य दिवसों की संख्या ब्रिज सेल हेतु गठित समिति द्वारा निर्धारित किये अनुसार होगी।
6. एक वर्ष पूर्ण होने पर पैनल का पुनरीक्षण ब्रिज सेल हेतु गठित समिति द्वारा किया जा सकेगा।

(मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अनुमोदित।)

(अर्चना सोलंकी)
मुख्य महाप्रबंधक (प्रशा.)
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,भोपाल

आ.पृ.क्र. 13678/न.क्र. 5–265/प्रशा./2024 भोपाल, दिनांक 08/11/2024

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य महाप्रबंधक (वित्त) म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण मुख्यालय भोपाल।
2. क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक (समस्त) म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण भोपाल।
3. संबंधित श्री आशुतोष मिश्र, सेवानिवृत्त अधीक्षण यंत्री, म.प्र. सड़क विकास निगम की ओर सूचनार्थ।

08/11/2024
मुख्य महाप्रबंधक (प्रशा.)
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,भोपाल